न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1669-एक/2004 - विरूद्ध आदेश दिनांक 4-10-2004- पारित द्वारा - आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 2/2004-05 निगरानी

अंजनीकुमार दुबे पुत्र श्यामकार्तित दुबे

ग्राम बिहरा तहसील सिंगरोली

वर्तमान जिला सिंगरोली मध्यप्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

अश्वनीकुमार दुवे पुत्र श्यामकार्तित दुवे

ग्राम बिहरा तहसील सिंगरोली

वर्तमान जिला सिंगरोली मध्यप्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 15- 11 -2017 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 2/2004-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 4-10-2004 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक एंव अनावेदक की सामिलाती भूमि का बटवारा नायव तहसीलदार वृत्त लदार तहसील सिंगरोली ने आदेश दिनांक 14-12-99 से किया । इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, सिंगरोली के

समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली ने अंतरिम आदेश दिनांक 11-6-2003 से अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन स्वीकार कर लिया। इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर बेढ़न के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर बेढ़न ने प्रकरण क्रमांक 179/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-8-2004 से निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली का अंतरिम आदेश दिनांक 11-6-2003 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 2/2004-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 4-10-2004 से अपर कलेक्टर बेढ़न का आदेश दिनांक 26-8-2004 निरस्त कर दिया । इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 2/2004-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 4-10-2004 के अवलोकन से परिलक्षित है कि आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने अपर कलेक्टर बेढ़न का आदेश दिनांक 26-8-2004 को निरस्त कर निम्नानुसार निर्देश दिये हैं :-

" अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26-8-2004 निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का विधिवत् अवसर दिया जावे तथा यदि महेन्द्रकुमार द्वारा गलत हलफनामा दिया गया है तो जांच पश्चात् पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जावे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि यदि नोटरी इस कार्य के लिये दोषी पाया जावे तो उसके विरूद्व भी कार्यवाही की जावे। प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण किया जावे। "

आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 4-10-2004 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आयुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को सही दिशा में पहुंचकर निर्णय लेने तथा पक्षकारों को सही न्याय प्रदान करने के उद्वेश्य से उपरोक्तानुसार

निर्देश दिये हैं एंव आयुक्त के निर्देशों के प्रकाश में दोनों पक्षों को अधीनस्थ न्यायालय में पक्ष प्रस्तुत करने एंव दावा प्रमाणित करने का अवसर प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना अनुसार निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 2/2004-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 4-10-2004 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर